

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1371 / 121(२) दिनांक, अल्मोड़ा 03-09-2015

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।


विषय:- चितई पन्त तिराहे से हरीदत्त पेटशाली राइँकाठ मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं 9220 / 2015)

महोदय,

संदर्भित पत्र के कम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० की पत्र सं 1448 / ३सी० दिनांक 21.08.2015 एवं पत्रांक 1532 / ३सी० दिनांक 02.09.2015 से बिन्दु सं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की आपत्ति निराकरण सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। जिसे मूल में मय संलग्नकों सहित आपको भेजा जा रहा है। बिन्दु सं 2 – प्रस्तावित वन भूमि दिनांक 22.09.2012 को घयनित की गयी है। बिन्दु सं 10 – वर्किंग प्लान के अनुसार आरक्षित वन सिराड क०सं 4 का सकल क्षेत्रफल 3.8 है० है। जिसमें 0.17 है० भूमि मार्ग निर्माण में आ रही है। बिन्दु सं 11 – आरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत मार्ग निर्माण होने के कारण सीमा से दूरी पार्ट-2 में शून्य अंकित की गयी है। कृपया उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- यथोक्त।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रान्त-30.1

विद्युत संस्था-6

1.6

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 01/12/14 at time 11:00 AM at Almora in which application claiming rights in Chatai Pant area measuring 2.43875 hec. for the for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

विद्युत संस्था-6
अल्मोड़ा

प्राप्ति ३०

जी २११८-६

JG

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 29/09/2014.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No: 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.438 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college Link Motor Road (8.00 km.) Construction Division P.W.D.** (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of **Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.438 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

विदा समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा



29/09/14
Signature
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

निम्न संदर्भ-
१६

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.438 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
विधायक
अधिकारी
अस्सोडा।

29.09.14
Signature
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
अस्सोडा।

निर्मल सुमान
1.6

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No..... Dated..1-12-14.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsil**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal villages (s)** is enclosed as annexure
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

01/12/14
निर्मल सुमान
District Collector, Almora

बिला समूज कर्तव्य अधिकारी
लालनोड़ा

प्रपत्र—23.2 | प्रारम्भ ३०.२

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) (0.2700 हेठा आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हेठा सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हेठा (अर्थात कुल 2.43875 हेठा वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की किंवदन्ति को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री अमीरुद्दीन बिष्ट उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष

2— श्री भगवत सिंह जीना, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3— सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा, सदस्य / सचिव

4— श्री चंद्रन सिंह रामला बी०डी०सी० क्षेत्र अधिकारी, अल्मोड़ा, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य नियमों, लोनोनियों, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रति कु संख्या - ८
१.६

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.43875 हेतु वन भूमि निर्खो लोनिविं, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(८)

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—....., जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(९)

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—..... जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र - 23 | प्रारम्भ - ३०.३

लिंग लेखा १६

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिरहे से हरी दत्त
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील- जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिरहे से हरी दत्त

पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी)
परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हेतु 0.2700 आरक्षित वन भूमि 1.99875 हेतु 1.99875 सिविल सोराम भूमि तथा
वन पंचायत भूमि 0.17 हेतु 0.17 अर्थात कुल 2.43875 हेतु 2.43875 वन भूमि का एक निर्माण विभाग
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु
आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिर्हा चिकित्सा द्वारा फैला दिए गए
को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वस अधिकार
अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहस आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी लोकों/कृषि कार्य है अथवा नहीं। संपर्कित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया
गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कल्पा/कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के
परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वेसमति से
निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितई विवारी, चितई पन्त, मन्योली,
पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,
लोगिनी, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति
नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत चिकित्सा विभाग
से वन अधिकारी
ग्राम सभा

प्रधान
ग्राम पंचायत चिकित्सा
विभाग
डॉ. हरदालवार
लोगिनी, अल्मोड़ा

प्रयत्न-23.1 प्रारंभ 30.4

क्रिक्ट टेस्ट | ६

दिनांक 22/09/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम समा में उपरिथित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कुलदीप राम	कुलदीप राम
2	गोपन्द राम	गोपन्द राम
3	चंद्र राम	चंद्र राम
4	मोहन कुमार	मोहन कुमार
5,	दिलज सिंह	दिलज सिंह
6,	हरि सिंह	हरि सिंह
7,	गिरीश लाल	गिरीश लाल

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र-सिन्धुपालकोटी
लिंगमैनहवालहाट (लखनऊ)

ग्राम व्यापार

प्रपत्र-23.1 | प्रारंभ-30.8

निकुंदांगा-६

।.६

दिनांक 22/02/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विजय सिंह	१५१७/८०८
2	बालू सिंह	११७२/८०८
3	देवेन्द्र सिंह	३१०५/८०८
4	गोपाल सिंह	१०८१/८०८
5	मनसर सिंह	५८८८/८०८
6	दर सिंह	८८/८०८
7	लक्ष्मी चंद्र	७५०८/८०८
8	मोहश सिंह	४६१/८०८
9.	बिल्लू फान्डे	८८०८/८०८

ग्राम पंचायत बैठक का अधिकारी
क्षेत्र-सिर्फ़ निवासी
विहार व निवासालय (भवनों)

D
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत बैठक का अधिकारी
विहार व निवासालय (भवनों)
पुरानी - ब्रह्मपुरी

सिंकु रम्बा० १६

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 किमी)

बन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील- जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हेतु आरक्षित बन भूमि 1.99875 हेतु सिविल सोलाम भूमि तथा बन पंचायत भूमि 0.17 हेतु अर्थात कुल 2.43375 हेतु बन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिर्ष लिंक द्वारा दिन ०२/०९/०५ को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित बन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करो हेतु विस्तृत वर्वा की गई। यह कि बन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित बन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी जन कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। लग्निधत् सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त बन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित बन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। वर्वा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वेसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त बन भूमि निर्माण खण्ड, लो०मिठी, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत निकाय कार्यालय
क्षेत्र- चितई तिकारी
विकास विभाग, जिला अधिकारी

ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत निकाय
विकास विभाग
जिला अधिकारी

प्रपत्र-23

विनु देवा० ।६

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त
पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य ।
(लम्बाई 6.00 किमी)

दन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-

जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हेतु 0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हेतु 0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हेतु 0 अर्थात कुल 2.43375 हेतु 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संरक्षा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिन १५/०५/०८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०निं०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास आयोग
ग्राम सचिव श्रेष्ठ- शिवराम पांडा
विनु देवा०-हवालदार (लघुलोहा)

ग्राम प्रधान
प्रधान v. Pmt.

ग्राम पंचायत विकास आयोग
विनु देवा०-हवालदार (लघुलोहा)

प्रपत्र-23.1

विदुसंग्रह-1.6

दिनांक २२/०१/०१ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१.	लक्ष्मी लाल	लक्ष्मी
२.	मोदी राम	मोदी राम
३.	जगदीश राम	जगदीश
४.	बाबू	बाबू
५.	लक्ष्मी लाल	लक्ष्मी लाल
६.	जगदीश	जगदीश
७.	पुरन राम	पुरन
८.	बलबन्दी कुमार	बलबन्दी
९.	रमेश	रमेश

ग्राम पंचायत विकास-प्रधान
क्षेत्र-प्रियंका राजपूत
विकास अधिकारी (सहायी)

ग्राम प्रधान
प्रधान V. Pant
ग्राम पंचायत नसई पंत
विकास अधिकारी (सहायी)

बिन्दु संगी - ८५

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में वितर्झ पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।
 (लम्बाई 6.00 किमी)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में वितर्झ पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.43375 हेतु वन भूमि निर्खो, लोनिविं, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
 अल्मोड़ा

01/12/14
 जिला अधिकारी
 जिलाधिकारी
 अल्मोड़ा

संख्या - ८

। ८

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरि
दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिंक मार्ग का निर्माण।

(लम्बाई 8 किमी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई पन्त तिराहे से हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 2.438 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०निं०वि०, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-९/९८-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सङ्क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

29.09.16
जिलाधिकारी अधिकारी
अल्मोड़ा द्वारा

विन्द सेखा-४

११

प्रपत्र-42

परियोजना विवरण :—जनपद अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रावक्कलन मय मानचित्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :—कालनू		क्षेत्रफल (हेक्टर)	4.8775	
क्रम संख्या	कार्य का नाम	इकाई (हेक्टर / संख्या)	इकाई दर (रुपये)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.8775	97.00	473.12
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.8775	950.00	4633.63
3	अग्रम दीवाल बन्दी (फॉन्सग)	4.8775	10150.00	49506.63
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अधियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	4.8775	5500.00	26826.25
5	गड्ढा खुदान (0.30X0.30X0.45)	5365	7.33	39327.28
6	निरीक्षण बटिया बनाना	4.8775	485.00	2365.59
7	पौधों का मूल्य	5365	5.89	31601.32
8	अन्य व्यय जैसे धंत्र, सयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.8775	400.00	1951.00
9	अन्य कार्य	4.8775	250.00	1219.38
योग :— (प्रथम चरण)			157904.19	
द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरना (0.30X0.30X0.45)	5365	1.15	6170.04
2	पौधों का मूल्य	5365	1.15	6170.04
3	पौधा दुलान कार्य	5365	6.39	34283.95
4	पौधा सेपण व थावलाबन्दी	5365	2.06	11052.42
5	निराई, गुडाई व मल्लिंग (दो बार)	5365	0.76	4077.59
6	खाद व दवा पर व्यय	4.8775	420.00	2048.55
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8 Month	5150.00	41200.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हेक्टर	4.8775	350.00	1707.13
	8.2 सुरक्षा दीवाल / धेरबाढ़ के बाहर 4मीटर की पटटी साफ करना	4.8775	190.00	926.73
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यावसायी / राजियों को प्रोत्साहन देना	4.8775	560.00	2731.40
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौधा दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोर्सी आदि क्राय वृक्षारोपण के समय वर्ष के बचने हेतु पौत्रीधीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फोल्ड स्टरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्स्यूमेट्रेशन आदि कार्य	4.8775	450.00	2194.88

४१

बिन्दु संसाधन

10	अन्य कार्य	4.8775	150.00	731.63
	कुल योग प्रथम वर्ष द्वितीय चरण			113294.33
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना प्रति हैं।	4.8775	260.00	1268.15
	2.2 सुखा दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	4.8775	215.00	1048.66
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रात्साहन देना	4.8775	450.00	2194.88
3	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (प्रथम वर्ष रख-रखाव)			46687.19
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)			42175.50
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (तृतीय वर्ष रख-रखाव)			42175.50
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)			42175.50
वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (पांचवे वर्ष रख-रखाव)			42175.50
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (छठे वर्ष रख-रखाव)			42175.50
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (सातवें वर्ष रख-रखाव)			42175.50
वृक्षारोपण का आठवे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (आठवे वर्ष रख-रखाव)			42175.50

लाल

वृक्षारोपण का नवे वर्ष का रख-रखाव

वृक्षारोपण का नवे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
योग :- (नवे वर्ष रख-रखाव)				42175.50
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
योग :- (दसवें वर्ष रख-रखाव)				42175.50
कुल योग :-				697465.20
या :-				697400.00

अनुरक्षण कार्य

प्रभाग
विभाग पर्याप्ति, लोगों की विकास
कार्यालय

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।

(लम्बाई 6.00 किमी)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 8.12.2009 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक/ कम्पार्टमेन्ट/ खसरा सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग							योग
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	आरक्षित वन भूमि	सिराड	चीड़— Pinus roxburghii sarg	7	7	2	4	10	2	—	32
			कुल योग (आरक्षित वन भूमि)	7	7	2	4	10	2	—	32
2	सिविल सोयम भूमि	चितई तिवाड़ी	मेहल	2	—	—	—	—	—	—	2
3		चितई पन्त	चीड़— Pinus roxburghii sarg	47	19	2	—	—	—	—	68
4		मन्धोली	चीड़— Pinus roxburghii sarg	71	12	15	5	5	—	—	108
		काफल		3	1	—	—	—	—	—	4
		मेहल		1	—	—	—	—	—	—	1
		सुरई		1	—	—	—	—	—	—	1
5		पूनाकोट	चीड़— Pinus roxburghii sarg	50	47	27	14	2	—	—	140
		काफल		5	1	—	—	—	—	—	6
		बाड़ी	चीड़— Pinus roxburghii sarg	28	9	5	2	—	—	—	44
		कुल योग (सिविल सोयम भूमि)		208	89	49	21	7	—	—	374
7	वन पंचायत भूमि	पेटशाल	चीड़— Pinus roxburghii sarg	16	7	3	1	—	—	—	27
		कुल योग (वन पंचायत भूमि)		16	7	3	1	—	—	—	27
8	नाप भूमि	चितई तिवाड़ी	मेहल	1	—	—	—	—	—	—	1
			चीड़— Pinus roxburghii sarg	1	—	—	—	—	—	—	1
			भीमल	3	—	—	—	—	—	—	3
9		चितई पन्त	चीड़— Pinus roxburghii sarg	16	14	3	—	—	—	—	33
			मेहल	1	1	—	—	—	—	—	2

बिन्दु संख्या -१

	मन्योली	पीङ— Pinus roxburghii sarg	104	100	10	7	2	2	—	225
	मेहल		18	17	—	—	—	—	—	35
	काफल		5	—	—	—	—	—	—	5
	पदम		1	—	—	—	—	—	—	1
	खडिक		—	1	—	—	—	—	—	1
	वकैन		1	—	—	—	—	—	—	1
	बेडू		2	—	—	—	—	—	—	2
	भीमल		—	1	—	—	—	—	—	1
	पूनाकोट	पीङ— Pinus roxburghii sarg	27	8	8	1	—	—	—	44
	काफल		—	1	—	—	—	—	—	1
	वकैन		—	—	—	1	—	—	—	1
	खडिक		—	—	1	—	—	—	—	1
	मेहल		3	—	—	—	—	—	—	3
	कुल योग (वन पंचायत भूमि)		183	143	22	9	2	2	—	361
	महायोग (आरक्षित+सिंगोपभूमि+व०प०भूमि+ना०भूमि)		414	246	76	35	19	4	—	794

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

शतिहस्ताक्षरित

राजि अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

राजस्व विभाग

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रतिहस्ताक्षरित

४८ विलाखिकारी वनाधिकारी
दस्तावेज़ वनाधिकारी

२१६
तहसीलदार
बरनोडा

बिन्दु संख्या-७ २१५

प्रारूप-20

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चित्तई पत्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि
(आरक्षित वन भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़- <i>Pinus roxburghii</i> sarg	10-20	7	70	490
		20-30	7	310	2170
		30-40	2	1085	2170
		40-50	4	2475	9900
		50-60	10	3395	33950
		60-70	2	5560	11120
		कुल योग	32		59800

(सिविल सोयम भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	मेहल	10-20	3	20	60
		20-30	196	70	13720
		30-40	87	310	26970
		40-50	49	1085	53165
		50-60	21	2475	51975
2	काफल	10-20	8	65	520
		20-30	2	300	600
		कुल योग	374		170840

(वन पंचायत भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़- <i>Pinus roxburghii</i> sarg	10-20	16	70	1120
		20-30	7	310	2170
		30-40	3	1085	3255
		40-50	1	2475	2475
		कुल योग	27		9020

प्रिंट संख्या-७

(नाप भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य	
1	चीड़- <i>Pinus roxburghii</i> sarg	10-20	148	120	17760	
		20-30	122	240	29280	
		30-40	21	900	18900	
		40-50	8	1945	15560	
		50-60	2	3445	6890	
		60-70	2	5560	11120	
2	मेहल	10-20	23	50	1150	
		20-30	17	210	3570	
3	बेडू	10-20	2	20	40	
4	दकैन	10-20	1	50	50	
5	भीमल	10-20	3	50	150	
		20-30	1	70	70	
6	तिमिल	10-20	2	65	130	
7	पदम	10-20	1	50	50	
8	काफल	10-20	6	65	390	
9	खड़ीक	20-30	1	210	210	
		30-40	1	390	390	
महा योग (सिंसोयम+नाप भूमि)		361		105710		
		794		345370.00		
या				345370.00		

प्रतिहस्ताधर्मित

राजि अधिकारी

*Sarita
अप्र० १०.३०.८*

प्रभागीय वनाधिकारी

बालमोडा वन प्रभाग, बलमोडा

*वन विभाग
बालमोडा वन विभाग*

*वन विभाग
बालमोडा वन विभाग*

तिन्दु संक्षा - १
१०.१५

प्रपत्र-20.1

परियोजना विवरण :— जनपद अल्पोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं०	क्षेत्र का नाम	व्यास वर्ग							योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	आरक्षित वन मूर्मि	7	7	2	4	10	2	—	32
2	सिविल बेनाप	208	89	49	21	7	—	—	374
3	वन पंचायत	16	7	3	1	—	—	—	27
	योग	231	103	54	26	17	2	—	433
4	नाप मूर्मि	183	143	22	9	2	2	—	361
	कुल योग	414	246	76	35	19	4		794

राजि अधिकारी

बैठक काली

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्पोड़ा वन प्रभाग, अल्पोड़ा



जैनदू संप्रदाय २०१५

प्रारूप—21

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
	आरक्षित वन भूमि	32	32	—
	सिविल सोयम बेनाप	374	374	—
	वन पंचायत	27	27	—
	संरक्षित वन	—	—	—
	योग :- वन भूमि	433	433	—
	नाप भूमि	361	361	—
	कुल योग :-	794	794	


प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 794 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 794 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

प्रतिहस्ताक्षस्ति
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग
लिमाण खण्ड, लो० नि�० वि०

प्रतिहस्ताक्षस्ति
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग
लिमाण खण्ड, लो० नि�० वि०

प्रतिहस्ताक्षस्ति
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग
लिमाण खण्ड, लो० नि�० वि०

अल्मोड़ा-छाट मोटर मार्ग के चित्तै तिराहे से
(हरिदत्त पेटशाली इन्टर कालेज से आगे)
पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)



Legend

విషయాల పరిచయం | వ్యవస్థల వివరాలు | ప్రాంతానికి సంబంధించిన విషయాలు

त्रिभागीय वृक्षाभिकर्त्ता ।

卷之三

卷之三

ନିର୍ମଳୀ

नमाण खण्ड, लौलिनोच०

वित्त संख्या - 1

२.१

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

- 1: कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चित्तई पत्त तिराहे से (हरीदत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
- 2: कार्य की स्थीकृत लम्बाई:- 6.00 किमी०
- 3: कार्य की लागत:- ₹ 200.16 लाख
- 4: आगणन गठित करने का संदर्भ:- शा०सं०- 572 / ॥॥(2) / 2006-08 प्रा०आ०/06 दि० 28.03.2006 के अनुपालन में।
- 5: लोक सभा क्षेत्र का नाम:- अल्मोड़ा-पिथोरागढ़
- 6: विधान सभा क्षेत्र का नाम:- 52-अल्मोड़ा
- 7: लाभान्वित लोकों के नाम:- हवालबाग
- 8: लाभान्वित ग्रामों का नाम/कोड सं:-

क०स०	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	चित्तई तिवाड़ी	287
2	चित्तई पत्त	348
3	मन्योली	59
4	पूनाकोट	561
5	पेटशाल बाड़ी	35
	योग	1290

- 9: आगणन के मुख्य प्राविधान:- मोटर मार्ग का नव निर्माण।

- 10: कार्य विषयक विस्तृत आख्या:- उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थीकृति शा०दे०-5103(1) / ॥॥(2) / 11-14(मा०मु०धो०) / 11 दि० 26.09.2011 द्वारा किमी० 10.00 लम्बाई हेतु ₹ 126.00 लाख की प्राप्त हुई है। मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर दोनों समरेखनों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है-

समरेखन 1:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चित्तई पत्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चित्तई पत्त, चित्तई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 हेमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी० आती है, परन्तु इस 2.00 किमी० का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम बृत्त, लो०निदि०, अल्मोड़ा का पत्रांक-1076 / 769सी० दि० 5.05.2003 द्वारा स्थीकृत है एवं वन भूमि भी स्थीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04न० 15मी० स्पान, 01न० 6मी० स्पान, 01न० 8मी० स्पान तथा 01न० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़े तथा मार्ग में 6 हेऊरपिन बैंड हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

समरेखन 2:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4-6 से (चित्तई पत्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चित्तई पत्त, चित्तई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 हेमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03न० 15मी० स्पान, 01न० 6मी० स्पान, तथा 01न० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़े तथा मार्ग में 10 हेऊरपिन बैंड हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है, परन्तु सड़क न होने से स्थानीय जनता का विपर्यास का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अग्रणीय है। सड़क बनाने से इस क्षेत्र में पर्यटन की भी सम्भावनाएँ हैं। सड़क की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा नहीं गिल पा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग स्थीकृत किया गया है।

समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जाएंगे।

उपरोक्त गुण-दोष के आधार पर लाल रंग से दर्शाया गया समरेखन सं०-१ तकनीकी एवं उपर्युक्ता की दृष्टि से अधिक उपर्युक्त होने के कारण अनुमोदन हेतु संस्कृति कर रखी गयी है।


संचालक अधिकारी
 निर्माण खण्ड लोकप्रियता अल्मोड़ा
 अल्मोड़ा


अधिकारी अधिकारी
 निर्माण खण्ड लोकप्रियता अल्मोड़ा
 अल्मोड़ा

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितर्ई पंत तिराहे से (हरीदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम चितर्ई तिवाड़ी, चितर्ई पन्त, मन्योली, पूनाकोट तथा पेटशाल बाड़ी ग्रामों से होकर गुजरता है जिनकी आबादी **1290** है। यह मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 10 है 0 4-6 से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन-पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएंगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मर्सिज, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में **1.99875** है 0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि **0.270** है 0, आरक्षित भूमि **0.170** है 0 भूमि (कुल 2.43875 है 0 भूमि) तथा नाप भूमि **2.96125** है 0 प्रभावित होती है उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन 1:— इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 10 है 0 4-6 से (चितर्ई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी 0 भाग से होते हुए ग्राम चितर्ई पन्त, चितर्ई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 13 है 0 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी 0 आती है, परन्तु इस 2.00 किमी 0 का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्ता, लोनिविंग, अल्मोड़ा का पत्रांक—1076 / 769सी 0 दि 0 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं 0 15मी 0 स्पान, 01नं 0 6मी 0 स्पान, 01नं 0 8मी 0 स्पान तथा 01नं 0 12मी 0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखन 2:— इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 10 है 0 4-6 से (चितर्ई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी 0 भाग से होते हुए ग्राम चितर्ई पन्त, चितर्ई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 13 है 0 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं 0 15मी 0 स्पान, 01नं 0 6मी 0 स्पान, तथा 01नं 0 12मी 0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं 0 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.43875 है 0 भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी 0 तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई है। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित सिविल भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
नि.ख.लो.नि.वि.
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण नि.ख.लो.नि.वि. विंग
अल्मोड़ा


अधिकारी अभियन्ता
निर्माण नि.ख.लो.नि.वि. विंग
अल्मोड़ा

लिन्क संख्या - 3

१५ (३)

Alignment

Name of work- अल्मोड़ा-पाट भोटर पार्श्व चित्तई पत्ता पिराहे से (हरी दल पेटशाली इंटर कालेज से आगे) दूशाल तक वैकल्पिक मार्ग। स्थीकृत लम्बाई 8.00 किमी। वारस्तविक लम्बाई 7.700 किमी।

Sl. No.	Particular	Alignment No-1 (mark with Red ink)	Alignment No-2 (mark with green ink)
1	Topography	The road start from Almora-Ghat motor road Hm.4-6 to Haridatt Petshali road and goes Dhangarh, Chitaipant, Chitaitiware, Pataldevi to Petshali	Same as alignment No.1
2	Length of Road	7.700 Km.	8.500 Km.
3	Bridging requirement No. and Length	4No. 15M. span, 1No. 6M. span, 1No.8M. span & 1No.12M. span	3No. 15M. span, 1No. 60M. span, 1No.12M. span
4	Geometric (a) Gradients	1:17, 1:20 & 1:24	1:15, 1:18 & 1:20
	(b) Curves, H.P. Bends	6No. H.P. bends	10Nos. H.P. bends
5	Exiting means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	All villages connected by bridle road and village path.	Same as alignment No.1
6	Right of way, bringing out. Construction on account of built up areas, monuments and other structures (a) Terrain & soil condition (i) Nature of soil (ii) Geology of the area (b) End length passing through (i) Mountainous terrain (ii) Steep terrain (iii) Rocky stretches with indication of length in loose rocky stretches (iv) Area subject to avalanches and snow drift (v) Slip Zone Area Tunnels and bridges	No such construction involved E.&B., O.R., H.R. Hilly Terrain 1.50Km. Nil 6Km. without rocky stretches -	Same as alignment No.1 E.&B., O.R., H.R. Hilly Terrain 2.50Km. 1.50Km. 5.850Km. without rocky stretches 6.50Km.

~~Page~~ 3/2011 -3

	(vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends (ix) Variations extants and types	Area has good drainage through country slopes and no susceptibility to flooding Maximum height is 1450M. Maximum height is 1250M.	Same as alignment No.1 Maximum height is 1450M. Maximum height is 1250M.
8	Climate condition: (a) Temperature monthly max. & min. reading. (b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available) (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available) (d) Wind direction and velocities (e) Fog condition (f) Exposure to sun Unusual weather conditions like cloud burst etc.	5.775Km Nap land, 0.575Km. Nazul land, 0.700Km. forest panchayat 0.650Km. Reserve forest	3.875Km Nap land, 1.775Km. Nazul land, 1.075Km. forest panchayat, 1.775Km. Reserve forest
	Facilities resources (a) Landing ground (b) Dropping Zone (c) Food stuffs (d) Labour local availability and need for port	Mostly hot in summer and very cold in winter Negligible Rain fall Negligible snow fall Record not available Fog remain during rains Almost in all the year Nil	Mostly hot in summer and very cold in winter Negligible Rain fall Negligible snow fall Record not available Fog remain during rains Almost in all the year Nil
		Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Local & Nepali labour also available	Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Same as alignment No.1

प्रिय संस्था - 3

	(c) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, stone, shingle etc. extent of their availability and lead involved.	Stone for constt. R/W will be available within average lead of 1½ Km. sand is available from Haldwani gola river quarry.	Same as alignment No.1
10	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc.	Agricultural land-5.775Km Irrigated land- Nil Built up land- Nil F. land & F.P., R.F.-1.925Km. Total cost Rs.296.36 lacs	Agricultural land-3.875Km. Irrigated land- Nil Built up land- Nil F. land & F.P., R.F.-4.625Km. Total cost Rs.414.88 lacs
11	Approximate Constt.Cost		Same as alignment No.1
12	Access point indicating possibility of induction of equipment	Can reach upto moteable terminal near Almora at present	Same as alignment No.1
13	Period required for construction	Approx.2years after transfer of land.	Same as alignment No.1
14	Strategic Consideration	To provide better communication	Same as alignment No.1
15	Important villages, towns and markets centres to be connected	All villages will be connected by motor road and Tehsil & Distt. head quarter.	Same as alignment No.1
16	Recreational potential	Nothing at present	Same as alignment No.1
17	Economic Factors: (a) Population served by the alignment	Appx.400	Appx.300
	(b) Agricultures and economic potential of the area	Limited at present. However it is expected to increase after construction of road.	Same as alignment No.1
18	Other major development projects being taken up electric projects etc.	Nil	Nil
19	(i) Misc. such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty (iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	Nil Nil Local contractor are available for the work.	Nil Nil Local contractor are available for the work.

२५ अक्टूबर - ३

	(v) Working period available for construction of work	Almost whole the year except rainy season.	Almost whole the year except rainy season.
20	Merits	1-Hill side slope easy and no steep zone fall in this alignment. 2-Less cost involved in this alignment. 3-Easy grades involved. 4-Minimum agricultural length effected from this alignment.	Nil
21	Demerits	Nil	1-More cost involved in this alignment. 2-Stip grades involved. 3-More forest land effected. 4-More length of the alignment which is costly. 5-More agricultural length effected from this alignment. 6-In this alignment 10H.P. bends involved & 60M. span steel girder bridge will be made. 7- 0.150 Km. sliding zone.

ECOMMENDATIONS:
Alignment no. (1) shown with red ink is hereby recommended for approval being more useful & technically feasible.

Mr Engineer
C.I.D., P.W.D.
Almora

d
Assistant Engineer
C.I.D., P.W.D.,
Almora

NO
Executive Engineer
C.I.D., P.W.D.,
Almora

अल्मोड़ा-धाट मोटर मार्ग के चित्रहेसे
(हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालोज से आगे)
पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)

